ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

मानवाधिकार और उसके बदलते आयाम

[1]डॉ0 बिपिन कुमार शुक्ल

[1]एसो0प्रो0–राजनीति विज्ञान फ0अ0अ0 राजकीय स्ना0 महाविद्यालय, महमूदाबाद (सीतापुर) उ0प्र0

Received: 08 May 2019, Accepted: 11 May 2019 ; Published on line: 15 May 2019

Abstract

परिवर्तन प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में विद्यमान नियम कानून और विचार में भी परिवर्तन अवश्यंभावी है। इसी क्रम में मानव अधिकारों संबंधी विचार, जो मानव सभ्यता के साथ ही अस्तित्व में आया, मे भी विविध परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। आरंभिक दौर में मानव अधिकारों के जिस स्वरुप को महत्ता प्रदान की गई वे मूल रूप से नागरिक एवं प्राकृतिक अधिकार थे ।कालांतर में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मानव अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पटल पर स्वीकार किया गया। साथ ही साथ मानवाधिकारों की व्यक्ति केंद्रित संकल्पना समूह और वर्ग आधारित संकल्पना की ओर अग्रसर होती दिखाई देती है। आधुनिक दौर में विश्व के तेजी से बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में मानवाधिकारों की संकल्पना निरंतर नवीन विचारों और स्वरूपों को ग्रहण कर रही है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मानव अधिकारों के विचारों में अब अपघटित हो रहे उत्तरोत्तर परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए उनकी उपादेयता का विश्लेषण करना है।

शब्द पूंजी:– प्राकृतिक अधिकार ,अंतर्निहित अधिकार, मौलिक अधिकार ,संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवीय सहायता,मानवीय हस्तक्षेप, समूह आधारित मानवाधिकार, मानवाधिकारों की पीढ़ियां, आत्म–निर्णय का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार आदि।

Introduction

वर्तमान युग मानव अधिकारों का युग है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों पटलों पर मानव अधिकारों को प्राप्त मान्यता ने एक ऐसी वचनबद्धता को जन्म दिया है जिसके परिणाम स्वरूप न केवल विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा मानव अधिकारों को अपने संविधान में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया वरन् इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रों के मध्य मानवाधिकारों को लागू करने की नैतिक एवं कानूनी बाध्यता का विचार स्वीकार किया गया।

मानवाधिकार का विचार मौलिक रूप से मानव गरिमा और मूल्यों से जुड़ा हुआ विचार है जिनका उपयोग करने और जिनकी की रक्षा करने की अपेक्षा रखने का हक प्रत्येक मनुष्य को है ।ये वे अधिकार हैं जो मनुष्य को मानव को होने के नाते प्राप्त हैं। यही कारण है कि सैद्धांतिक रूप से इन अधिकारों को वैश्विक मान्यता मिली है ।मानव अधिकारों का अभिप्राय उन सार्वभौमिक ,मूलभूत एवं अहार्य अधिकारों से है जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने और उसे अपने व्यक्तित्व

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

को पूर्णता प्रदान करने के लिए अपरिहार्य माने जाते हैं और इन अधिकारों पर विश्व की समस्त मानव जाति का नैतिक दावा बनता है चाहे वे किसी भी वर्ण, जाति,धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता के हो। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने मानव अधिकारों को अपने संविधान में किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार किया है जहां उन्हें 'मौलिक अधिकार', 'मूल अधिकार', 'प्राकृतिक अधिकार' आदि संज्ञाएं प्रदान की गई है।

मानवाधिकार एक परिचयः

सामान्य अर्थ में मानव अधिकारों का विचार मानव उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ विचार है ।मानवाधिकारों की व्यवस्था शताब्दियों के विकास का परिणाम है और मानव जाति हमेशा से ही अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत रही है । यद्यपि मानव अधिकारों की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया में पश्चिम के कुछ देशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों नें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इन क्रांतिकारी आंदोलनों ने मनुष्य के अधिकारों को अपरिहार्य और पवित्र मानते हुए न केवल अपने संघर्ष को वैध ठहराया, बल्कि कतिपय ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास भी किया, जो इनकी पूर्ति के लिए अनिवार्य थी । ब्रिटिश मैग्ना कार्टा (1215) ,बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम(1676), बिल ऑफ राइट्स (1689), अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776) और फ्रांसीसी क्रांति में मानवाधिकारों की घोषणा (1789) इत्यादि के माध्यम से मानवाधिकारों के विकास को गति प्रदान की गयी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्वीकृति और उनके संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध कॉल और उसके बाद के दौर में आरंभ हुए। द्वितीय विश्व युद्ध काल में बड़े पैमाने पर जनमानस की हानि और विस्थापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई उस को ध्यान में रखते हुए विजित राष्ट्रों ने सार्वभौमिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के माध्यम से न केवल आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने का संकल्प लिया बल्कि मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा भी उठाया । संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में कहां गया ,''संयुक्त राष्ट्र के चार प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य किसी जाति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना है ।' इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र स्थापना वर्ष में ही मानवाधिकार आयोग(1945)की स्थापना की गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे मानवाधिकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के रूप में स्वीकार किया गया है।

मानवाधिकारों की पीढ़ियांः

मानव अधिकारों की समकालीन अवधारणा तथा उसका सार्वभौमिक स्वरूप एवं विश्वव्यापी स्वीकृति मूल रूप से अतीत की समृद्ध विरासत पर आधारित है परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश मैग्नाकार्टा (1215) से आरंभ हुई मानवाधिकारों की यह यात्रा अद्यतन तक कई दौर से गुजर चुकी

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

है। अध्ययन की दृष्टि से मानव अधिकारों बदलते आयामों को विभिन्न पीढ़ियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं–

प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकारः

मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को रेखांकित करती है। 16वीं– 17 वी शताब्दी में जन्में इन अधिकारों का मुख्य जोर राज्य की सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के संरक्षण पर है ।इस दौर में अस्तित्व में आए विभिन्न कानूनी प्रलेख जैसे ब्रिटिश मैग्नाकार्टा (1215), ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स (1689),अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र (1776)तथा फ्रांसीसी अधिकारों की घोषणा (1789)इन अधिकारों को व्यक्त करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के आधार पर विजित राष्ट्र द्वारा आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई जहां यह स्वीकार किया गया कि ''युद्ध के अभिशाप ने हमारे जीवन काल में ही मानव जाति को दो बार जिस अकथनीय विपत्ति में डाला है ,उससे भावी पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए और मूल मानव अधिकारों में व्यक्ति के रूप में मनुष्य गरिमा और महत्त्व में ,पुरुषों तथा स्त्रियों और छोटे तथा बड़े राष्ट्रों में समान अधिकारों में अपनी आस्था को दोहराने के लिए... का संकल्प लिया गया । इस संकल्प के 3 वर्ष पश्चात ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा1948 के विभिन्न अनुच्छेदों में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के समय तीसरी दुनिया के तमाम राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं थे लेकिन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में जिन अधिकारों को अभिव्यक्त किया गया, इन राष्ट्रों के जनमानस द्वारा अपने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन अधिकारों को अपना आदर्श मानते हुए संघर्ष किया गया और सफलता मिलने पर उन्हें अपने संविधान में सम्मिलित किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के 30 अनुच्छेदों में में अनुच्छेद 1 और 2 में यह कहा गया है कि ''सभी मनुष्य समान गरिमा और अधिकारों के साथ जन्म लेते हैं और इस घोषणापत्र में सम्मिलित उन सभी अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए अधिकृत है और इसके लिए उनमें जाति, रंग ,लिंग, भाषा ,धर्म ,और राजनीतिक विचार, राष्ट्रीयता , सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति आदि किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।'' अन्य अधिकारों के साथ साथ इस घोषणापत्र में सम्मिलित प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं– जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार ,आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रताड़ना से बचने के लिए आश्रय का अधिकार,विचार ,अभिव्यक्ति अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तथा मतदान एवं शासन में प्रतिभाग का अधिकार आदि को सम्मिलित किया गया है। 1966 में अस्तित्व में आए नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र और उसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने इन राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानदंड निर्धारित किए। प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य ''सरकारों को

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए उन पर निषेधात्मक दायित्व''आरोपित करना था। प्रथम पीढ़ी के ये मानवाधिकार 19वीं शताब्दी से आरंभ होने वाले सभी उदारवादी लोकतांत्रिक आंदोलनों में मुख्य प्रयोजन बने। मूल रूप से नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को रेखांकित करने वाले मौलिक अधिकारों की इस पीढ़ी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'ब्लू राइट्स' की भी संज्ञा दी जाती है।

द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकारः

दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की प्रकृति मूलतः सामाजिक ,आर्थिक एवं सांस्कृतिक है। इन अधिकारों में सामाजिक ,आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता के विचार को केंद्रीय विचार के रूप में स्वीकार किया गया है। इन मानवाधिकारों को ''सुरक्षा अभिमुख'' मानवाधिकारों की भी संज्ञा दी जाती है। दूसरी पीढ़ी के यह मानवाधिकार सकारात्मक प्रकृति के हैं। मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के परिदृश्य में राष्ट्रों द्वारा इन अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकारों की भांति संयुक्त राष्ट्र सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 में द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकारों को भी समान महत्ता प्रदान की गई। इस घोषणापत्र के अनुच्छेद 22 से 28 के मध्य इन अधिकारों की चर्चा की गई है। यह अधिकार विभिन्न नागरिकों को समान स्थिति और बर्ताव की गारंटी देते हैं ।इनमें न्याय संगत और अनुकूल परिस्थिति मे काम का अधिकार, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा ,शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार आदि पर बल दिया गया है। यद्यपि इन अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है परंतु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य विशेष के पास संसाधन की उपलब्धता क्या है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1966 में आर्थिक ,सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र लाया गया जो 1976 में 148 सदस्य राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद लागू हुआ । इस प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से काम के अधिकार तथा कार्यस्थल पर अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होना, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार ,सांस्कृतिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक विकास आदि अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई। इस प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेखित मानवाधिकारों का सदस्य राष्ट्रों द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए सन 1985 में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद द्वारा एक समिति का गठन किया गया। 18 सदस्यीय यह समिति सदस्य राष्ट्रों द्वारा उनके यहां सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करती है।

तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारः

मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी पूर्ववर्ती दोनों पीढ़ियों से इस संदर्भ में भिन्न है कि प्रथम दो पीढ़ियों में मानवाधिकार की केंद्रीय विषयवस्तु व्यक्तिगत अधिकार थे, वहीं तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारो का विचार व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर सामूहिक अधिकारों पर जोर देता है। इस पीढ़ी के

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

मानवाधिकार व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर समूह और वर्ग यथा महिलाओं ,बच्चों अल्पसंख्यको, दिव्यांगों, शरणार्थियों और विस्थापितों आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ।

मानव अधिकारों के क्षेत्र में इस दौर की शुरुआत विगत शताब्दी के 70 के दशक में होती है जब पहली बार 1972 स्टॉकहोम में संपन्न मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की समस्या को रेखांकित किया गया। इन अधिकारों में पर्यावरण, सांस्कृतिक तथा विकासात्मक अधिकारों का समावेश है। समूह पर ध्यान केंद्रित करने वाले तीसरी पीढ़ी के इन अधिकारों के अंतर्गत निम्न अधिकार सम्मिलित किए जाते हैं–

1– आत्म निर्णय का अधिकार
2– सामाजिक आर्थिक विकास का अधिकार
3– स्वस्थ वातावरण का अधिकार
4– प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार
5– संवाद और संचार का अधिकार
6– अंतर्राष्ट्रीय समता और सतत विकास का अधिकार
7– सांस्कृतिक विरासत का अधिकार आदि

तीसरी पीढ़ी के इन अधिकारों को 'हरित अधिकार' या 'समूह मानव अधिकार' (Solidarity Human Rights) की भी संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में उक्त मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बनाने के प्रयास किये गये । इसके अतिरिक्त कतिपय विकसित देशों जैसे हंगरी ,फिनलैंड और इजरायल आदि देशों की सांवैधानिक मशीनरी में तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों को समाहित किया गया । साथ ही साथ विभिन्न देशों द्वारों इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ,अल्पसंख्यक आयोग, बाल आयोग आदि की स्थापना की गई।

तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों के संदर्भ में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब 1986 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'विकास के मानव अधिकार की घोषणा की गई। जिसमें कहा गया कि ''विकास के समान अवसर पाना देशों और व्यक्तियों का अधिकार है।'' विकास के अधिकार को अहार्य मानवाधिकार मानते हुए कहा गया कि ''प्रत्येक व्यक्ति और समूह को आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भागीदारी योगदान और लाभ प्राप्त करने का समान अधिकार है।'' पुनः 1993 में वियना में संपन्न मानवाधिकारों के द्वितीय वैश्विक सम्मेलन में विकास के मानवाधिकार को लेकर एक कार्य समूह निर्माण का निर्णय लिया गया जिसका उद्देश्य इन अधिकारों की प्रगति की समीक्षा करने ,उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को चिन्हित करने के साथ–साथ इनके बेहतर क्रियान्वयन हेतु रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

1972 में स्टॉकहोम में संपन्न संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का एक संगठित प्रयास आरंभ हुआ। इस पर्यावरण सम्मेलन के अंत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना इस उद्देश्य की गई कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतिगत उपाय सुलझाने के साथ–साथ सदस्य राष्ट्रों को पर्यावरण संबंधी नीतियों के निर्धारण में मदद करेगा।

जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है वर्तमान विश्व में लगभग सौ करोड़ से अधिक अल्पसंख्यक समूह निवास करते हैं ।एक अध्ययन के मुताबिक इनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समूह वंचना, विभेद के साथ–साथ हिंसक संघर्षों के शिकार हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नृजातीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर 1995 में अल्पसंख्यकों के लिए एक उप–आयोग का गठन किया गया । इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में महिलाओं और बच्चों के साथ–साथ आदिवासी जनों,विस्थापितों, शरणार्थियों, प्रवासी कामगारों और दिव्यांगों हेतु सामूहिक मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान और प्रयास किये गये । उदाहरण के लिए 1982 में आदिवासियों के लिए कार्य दल का गठन किया गया और 1993 को विश्व आदिवासी जन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसी प्रकार 1995 –2004 के दशक को विश्व आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया गया। इस सब का उद्देश्य मानवाधिकार, पर्यावरण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आदिवासी जनों की समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है ।

संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग वर्ष 1981 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिव्यांग जनों हेतु एक विश्वस्तरीय 'कार्य योजना' बनायी गयी जिसका उद्देश्य दिव्यांग–जनों के अधिकारों को संवर्धित करने हेतु नीतिगत ढांचा तैयार करना था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग दशक (1983–1992) के समापन के अवसर पर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिव्यांग जनों को अवसर की समानता उपलब्ध कराने हेतु कतिपय नीति निर्धारक नियमों का निर्माण किया गया जो सदस्य राष्ट्रों हेतु दिव्यांगों के लिए बनाई जाने वाली नीतियों के मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। संक्षेप में तीसरी पीढ़ी के यह मानवाधिकार, व्यक्तियों के बजाय समूह और जन–समाजों के अधिकारों पर केंद्रित हैं।

चौथी पीढ़ी के मानवाधिकार :

आधुनिक युग संचार क्रांति का युग है। वर्तमान में तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरुप एक नवीन समाज का निर्माण हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबरस्पेस के इस युग में कतिपय विद्वान मानवाधिकारों की एक नए अध्याय की शुरुआत मानते हैं जिनमें मुख्य रुप से सूचना प्रौद्योगिकी और जैव नैतिकता से जुड़े हुए अधिकारों को सम्मिलित करते हैं अधिकारों में प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाने वाले अधिकार इस प्रकार हैं–

1–कंप्यूटिंग एवं डिजिटल स्पेस तक समान रूप से पहुंच का अधिकार

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

2– डिजिटल सुरक्षा का अधिकार
3– डिजिटल आत्म निर्णय का अधिकार
4– व्यक्तिगत आंकड़ों को सुरक्षित रखने एवं उसे प्राप्त करने का अधिकार

वस्तुतः मानवाधिकारों की यह चौथी पीढ़ी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के वातावरण में मानव को एक जैविक प्रजाति मानते हुए उसके कतिपय नए अधिकारों का सृजन करती है।

इस प्रकार मानवाधिकारों की अवधारणा मानव और उसके पर्यावरण के विकास और बदलाव की यात्रा के समानांतर एक यात्रा है । कुछ विद्वान यह आग्रह करते हैं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मानवाधिकारों की अपेक्षा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उनके मन में विकास के अधिकार को स्वीकार करने के बारे में भी गंभीर संकोच है क्योंकि राज्य में संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत ऐसा करना शायद संभव ना हो । लेकिन मानव अधिकारों की इन पीढ़ियो को हम उप –खंडों में विभक्त नहीं कर सकते और नहीं उनके मध्य प्राथमिकता तय कर सकते हैं ।मानवाधिकार से संबंधित इन विभिन्न चरणों का वर्गीकरण केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों की मान्यता प्रदान किए जाने के समय का संकेत देता है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिकारों को कब मान्यता मिली। वियना सम्मेलन में की गई घोषणा स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि ''समस्त मानव अधिकार सार्वजनिक अविभाज्य अंतर्निर्भर और अतर्संबंधित हैं।''

संदर्भ सूचीः

1 –बेसिक फैक्ट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस ,यूनाइटेड नेशन पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क 2004
2– डेरेन ओ ब्रायनः ह्यूमन राइट्स एंड इंट्रोडक्शन, पीयरसन, भारत 2012
3– एम स्टीफनः ह्यूमन राइट कांसेप्ट एंड पर्सपेक्टिव्स, नई दिल्ली 2002
4– मीना शिरीषः संयुक्त राष्ट्र संघ सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष,2004, नई दिल्ली
5– MP Dubey & Neeta Bora : Prospectives on Human Right, India 2000
6– C.J. Nirmal : Human Rights in India, Oxford University Press, 1999
7– P.K Kamath : Reforming the United Nations, New Delhi 2007
8- Word Focus, Vol. 22, No 1 Jan 2001
9- Challenges of Human Right Hong Cong 2007